केस संख्या रजिस्टर्ड 323/16

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	27.4.18	पत्रावली पेश हुई, पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु न्याय आपके द्वार कैम्प स्थल..मनोहरपुरा मे दि. 18.5.18 को पेश हो।
गोपाल मीणा कैलाश जनता छि.काल रवड शकुन्तला सरपंच शकुन्तला देवी मीणा ग्राम पंचायत मनोहरपुरा पं.स. बस्सी (जयपुर)	18.5.18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट मनोहरपुरा मे पेश हुई। वादी सं. 1 लगा. 2 एवं प्रतिवादी सं. 2 लगा. 4 उपस्थित जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत मनोहरपुरा ने की है। वादी व प्रतिवादीगण के वादपत्र पर सुना गया व तहसीलदार बस्सी से रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन एवं वादी व प्रतिवादीगण की वादपत्र पर सुनने एवं उपस्थित मौतबिरान से वादग्रस्त भूमि के संबंध मे जानकारी लेने तथा तहसीलदार बस्सी से केम्प स्थल पर रिकार्ड का अवलोकन करने एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने एवं राजस्व लोक अदालत हेतु गठित बैंच के निर्णयानुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 187 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 188 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं. 189/260 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं. 195 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा के सम्बन्ध मे रिकार्ड अनुसार वादी के पिता द्वारा जीवित रहते हुऐही उक्त वादग्रस्त भूमि मे अपने 1/5 हिस्से सम्पूर्ण का बेचान अन्य व्यक्ति को कर दिया है। तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय से निरस्त भी नही करवाया है ऐसी स्थिति मे वादीगण को चाही गयी सहायता दिया जाना उचित नही समझते है अत वादग्रस्त भूमि के संबंध मे वादी का वाद विधि की मंशा के अनुरूप नही होने के कारण खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। यह निर्णय आज दिनांक 18.05.18 को न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट मनोहरपुरा मे मजमे आम मे सुनाया गया।

18-5-18

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक म[illegible]ट
बस्सी, जिला जयपुर